न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

(1) अपील संख्या – 31/2015/223 आरटीएक्ट

1. धर्माराम (मृतक)

1/1 सावित्री देवी पत्नी धर्माराम जाति जाट निवासी 10 केएसपी तहसील व जिला हनुमानगढ़

–अपीलाण्ट

बनाम

1. सुमित नाबालिग पत्र श्री विजयसिंह जाति जाट निवासी गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ जरिए कुदरति वलिया माता मुस्मात सरोज पत्नी बनवारीलाल (पूर्वपति विजयसिंह) जाति जाट निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. एकता पुत्र महावीर जाति जाट निवासी गोलूवाला निवादानप तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. विजयसिंह पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी 10 केएसपी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।
5. निर्मलादेवी पुत्री धर्माराम पत्नी चेतन जाति जाट निवासी सुरेशिया हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
6. कैलाश पुत्री धर्माराम पत्नी कलवन्तसिंह जाति जाट निवासी सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ –रेस्पोडेण्ट्स

(1) अपील संख्या – 32/2015/223 आरटीएक्ट

1 धर्माराम (मृतक)

1/1 सावित्री देवी पत्नी धर्माराम जाति जाट निवासी 10 केएसपी तहसील व जिला हनुमानगढ़

–अपीलाण्ट

बनाम

1. सुमित नाबालिग पत्र श्री विजयसिंह जाति जाट निवासी गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ जरिए कुदरति वलिया माता मुस्मात सरोज पत्नी बनवारीलाल (पूर्वपति विजयसिंह) जाति जाट निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. एकता पुत्र महावीर जाति जाट निवासी गोलूवाला निवादानप तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. विजयसिंह पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी 10 केएसपी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।
5. निर्मलादेवी पुत्री धर्माराम पत्नी चेतन जाति जाट निवासी सुरेशिया हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
6. कैलाश पुत्री धर्माराम पत्नी कलवन्तसिंह जाति जाट निवासी सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ –रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी 05.01.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.02.2015 एवं सेशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.04.2015 प्रकरण संख्या 159 / 2013

उपस्थित :—

श्री राजेश दीपरामय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से

श्री गुरमोहनसिंह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3, 5, 6 की ओर से।

निर्णय दिनांक —

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया। वाद में चक 10 केएसपी की व 11 केएसपी की भूमि में जरिये विभाजन प्रापत करने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध अलग अलग अपीलें पेश की जिन्हें समेंकित किया गया है।
2. अपील पेश होने पर उभयपक्ष ने राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार अपील का निस्तारण करने का निवेदन किया। लिहाजा बरूए राजीनामा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2014 व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.07.2014 व निर्णय दिनांक 05.01.2015 व अनितम डिक्री दिनांक 16.02.2015 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2015 अपास्त किये जाते है एवं प. नं. 158 / 310 (48) किला नं. 4 से 7, 14 से 16 व 25 तथा पत्थर नं. 159 / 310 (49) किला नं. 10 कुल 9 बीघा कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 व उनकी माता सरोज के पक्ष में व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 विजयसिंह के पक्ष में चक 11 के एसपी के प. नं. 159 / 309 (38) किला नं. 18 ता 23 व पत्थर नं. 159 / 310 (49) के किला नं. 9, 11, 12, 19 ता 22 व चक 10 केएसपी के पत्थर नं. 160 / 310 (51) किला नं. 1 ता 10, 15, 16, 25 कुल तादादी 6.578 है. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को खुले न्यायायल में सुनाया गया।

(हरभान मीणा)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ